हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए : गिरिराज

कोलकाता, 31 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ असहिष्णुता का हवाला देकर राम मंदिर निर्माण का विरोध किया उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां पर कैसा लोकतंत्र है। सिंह ने दावा किया कि राम मंदिर मुद्दा तब ही सुलझ गया होता अगर सरदार वल्लभभाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने वोट बैंक की राजनीति की खातिर इस मुद्दे को 'जानबूझकर' जिंदा रखा।

हिंदूवादी राग अलापने के लिए पहचाने जाने वाले भाजपा नेता ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण भाजपा के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है लेकिन इसके बजाए 'सभी हिंदुओं के देश में रहने का एजंडा' है। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए 'छद्म धर्मनिरपेक्षों' पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि जो देश में असहिष्णुता के बारे में चिल्ला रहे हैं वे असल में 'असहिष्णुता का गिरोह' है जो देश को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं।

सिंह ने कहा, 'चूंकि हम सहिष्णु हैं तो अन्य समुदाय इसका फायदा ले सकते हैं। कैसे भारत जैसे देश में जहां हिंदू बहुल हैं, उन्हें अपने देवताओं की प्रार्थना करने से रोका जा सकता है। अन्य समुदायों का हमें, हमारे देवताओं की प्रार्थना करने से रोकने का क्या अधिकार है? किसी भी चीज की अति खराब है लेकिन इससे हिंदुओं का धैर्य टूट सकता है। किसी को भी हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।' राम मंदिर निर्माण के विरोध के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री ने कहा, 'भारत ऐसा लोकतंत्र है जिसका कोई भी विरोध कर सकता है। जो छद्म धर्मनिरपेक्ष है, वे इसका विरोध कर रहे हैं, जो जेएनयू में भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वे इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग असहिष्णुता की बात कर रहे हैं, उन्हें अपनी किस्मत को धन्यवाद देना चाहिए कि भारत एक हिंदू बहुल देश है। उन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां किस तरह का लोकतंत्र है।'

हत्या के आरोप में संघ कार्यकर्ता गिरफ्तार

रतलाम (मध्य प्रदेश), 31 जनवरी (भाषा)।

जीवन बीमा की राशि हासिल करने के लिए खुद को मरा साबित करने के इरादे से अपने 32 वर्षीय पूर्व नौकर मदनलाल मालवीय की कथित रूप से हत्या करने वाले आरएसएस कार्यकर्ता हिम्मत पाटीदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उसे 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पाटीदार ने टेलीविजन सीरियलों और फिल्मों को देखकर इस हत्याकांड की पूरी साजिश रची थी।

रतलाम जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने गुरुवार को बताया कि मदनलाल की हत्या करने के आरोप में हिम्मत पाटीदार को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के एक धर्मशाला से बुधवार को गिरफ्तार किया गया। उसे वहां से गुरुवार सुबह रतलाम लाया गया। उन्होंने कहा कि बाद में उसे रतलाम जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अजय रामावत की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पाटीदार ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उस पर 26 लाख रुपए का कर्ज था और उसने एक महीने पहले ही 20 लाख रुपए का अपना जीवन बीमा कराया था। कर्ज से निजात पाने और बीमे की 20 लाख रुपए की राशि हासिल करने के लिए ही उसने अपने कद-काठी के शख्स मदनलाल मालवीय की हत्या की और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने हत्या के बाद मालवीय को अपने कपड़े भी पहना दिए थे।

तिवारी ने बताया कि पाटीदार ने फिल्में और टेलीविजन पर आने वाले क्राइम सीरियल देखकर किसी दूसरे को अपनी जगह मारकर खुद की हत्या दिखाने की साजिश रची थी।

स्त्री-पुरुष अनुपात में असमानता बढ़ने पर चिंता जताई

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 31 जनवरी।

देश में स्त्री-पुरुष अनुपात में बढ़ रही असमानता पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गहरी चिंता जताई है। दक्षिणी राज्यों में यह असंतुलन ज्यादा है। सरकारी आंकड़ों से ही पता चला है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 2016 में एक हजार पुरुषों के विपरीत महिलाओं की संख्या 806 थी। तमिलनाडु में भी जहां 2007 में एक हजार पुरुषों के विपरीत महिलाएं 935 थीं, वहीं 2016 में यह घटकर 840 रह गई। कर्नाटक और तेलंगाना में भी महिलाओं की आबादी में पुरुषों के मुकाबले कमी आई है।

आयोग ने मीडिया में सरकारी आंकड़ों पर आधारित खबर का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय महिला व बाल कल्याण विभाग के सचिव और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह बताने को कहा है कि महिलाओं के कल्याण के लिए जारी योजनाओं पर अमल की क्या स्थिति है? आयोग ने लैंगिक असमानता दूर करने के संबंध में सुझाव भी मांगे। जवाब के लिए छह हफ्ते की मोहलत दी गई है।

आयोग ने माना है कि केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कन्याओं के संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना के प्रयास किए हैं और अनेक योजनाएं भी लागू की हैं तो भी दोनों की संख्या का आनुपातिक आंकड़ा चौंकाने वाला है। संविधान भी लैंगिक आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

मतदाताओं से पैसा वापस मांगते शख्स का वीडियो आया सामने

हैदराबाद, 31 जनवरी (भाषा)।

तेलंगाना में मतदाताओं से पैसा लौटाने की मांग करते एक शख्स का वीडियो सामने आया है। वीडियो में यह मतदाताओं से कथित रूप से अपना वह पैसा लौटाने की मांग करता दिख रहा है, जिसे उसने हाल में संपन्न पंचायत चुनावों के दौरान अपनी पत्नी के पक्ष में वोट मांगने के लिए लोगों में वितरित किया था। पंचायत चुनावों में उसकी पत्नी हार गई है।

JAGJANANI TEXTILES LIMITED
Regd. Office: SCOs 33 &34, RIICO Shopping Complex, Bagru Extn-1,. Jaipur- 303007. **E-mail:** jtlsgv@gmail.com
Phone- 0141- 4104745
CIN: L17124RJ1997PLC013498

NOTICE

Pursuant to the requirements of listing with BSE, Notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 13/02/2019, Wednesday at 2.00 PM at above Regd. Office address to inter-alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the Quarter Ended 31/12/2018 and any other matter with the permission of Chair.

For **Jagjanani Textiles Limited**
Sd/-
Place: Jaipur — Priyanka Dangayach
Date : 31/01/2019 — Company Secretary

ऋण वसूली न्यायाधिकरण
600/1, यूनीवर्सिटी रोड, निकट हनूमान सेतु मन्दिर, लखनऊ–226007
(न्याय क्षेत्र–उत्तर प्रदेश का भाग)
प्रकाशन द्वारा जवाब दाखिल करने और पेशी हेतु समन

ओ. ए नं. 1023/2018 — 11.01.2019

(ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया निगमन) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(3) के तहत प्रतिवादियों को अदालती आदेश/समन)

ओ.ए. नं. 1023/2018
कॉर्पोरेशन बैंक, शाखा – गाजियाबाद — अर्जदार
बनाम
मैसर्स विकास ट्रेडिंग कम्पनी — प्रतिवादीगण

सेवा में,
1. मैसर्स विकास ट्रेडिंग कम्पनी — कर्जदार
अपने प्रोपराईटर विकास मार्ग के माध्यम से निवासी : सी–103, भूतल, नियर डबल टैंक पार्क, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन–II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ०प्र०

समन प्रकाशित होने के बाद उक्त नामित आवेदन में आपको स्वयं या अपने अधिकृत एजेंट या कानूनी पेशेवर के माध्यम से अपना जवाब पेपर बुक फॉर्म में दो सेटों में दस्तावेजों और शपथ पत्र (यदि हो) सहित इस न्यायाधिकरण में दाखिल करना है, इसकी प्रति आवेदक या वकील / विधिक अधिकृत एजेंट को देने के बाद, और उसके बाद दिनांक 04.03.2019 को पूर्वा. 10.30 बजे न्यायाधिकरण में पेश होना है अन्यथा अर्जी आपकी अनुपस्थिति में ही सुनी जायेगी और फैसला दिया जायेगा।

पंजीयक, ऋण वसूली न्यायाधिकरण

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक !

शाखा- बोम्बे बाजार, मेरठ
भौतिक कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिक्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियमों 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाए गए खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख/उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी/ऋणियों/गारन्टरों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक खाते के सामने दी गई तारीखों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति/सम्पत्तियों का **भौतिक अधिग्रहण** कर लिया है। ऋणी/ऋणियों/ गारन्टरों/ बंधककर्ताओं को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

खाते का नाम व पता	ऋणी का नाम व पता	बन्धक रखी गयी प्रापर्टी का विवरण	मांग नोटिस की तारीख 13(2)	सांकेतिक नोटिस की तारीख 13(4)	भौतिक कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख को बकाया राशि (13/2)
मैसर्स आर.के. एन्टरप्राइजेज	मैसर्स आर. के. एन्टरप्राइजेज पताः 130/142 शिव शक्ति नगर, बहादुर मोटर्स के पास, दिल्ली रोड, मेरठ	व्यवसायिक भवन स्थित प्लाट नंबर 4/790 सेक्टर 4 स्कीम नंबर 10 माधवपुरम मेरठ, क्षेत्रफल 136 वर्ग गज श्री हितेश वालिया और श्री गौरव वालिया के नाम रजिस्ट्रार्ड कम संख्या 5933 बुक नंबर 1 खण्ड नंबर 8763 पेज नंबर 361/400 दिनांकित 29–04–2013 को सब रजिस्ट्रार मेरठ में रजिस्ट्रार्ड सीमायेंः–पूर्वः 8.50 मीटर/रास्ता 12 मीटर चौड़ा पश्चिमः 8.50 मीटर / प्लाट नंबर 4/782 उत्तरः 16 मीटर / प्लाट नंबर 4/789 दक्षिणः 16 मीटर / प्लाट नंबर 4/791	19.10.2016	07.06.2017	28.01.2019	रु. 69,98,803.00 +01.09.2016 से ब्याज + अन्य खर्चे

दिनांक : 30–01–2019 — स्थान : मेरठ — प्राधिकृत अधिकारी

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
समाधान वसूली और विधि कार्यालय, गुरुग्राम (हरियाणा)
ओ.बी.सी — शाखा : प्लॉट नं. 5, इन्सटीट्यूशनल एरिया, सैक्टर–32, गुड़गाँव–122001, ई–मेलः rrl_7626@obc.co.in

नियम 8(1) अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।**

उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

खाते का नाम (कर्जदार)	माँग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	बकाया राशि (रू. में)
मैसर्स श्री बालाजी इंटरप्राईजेज इसके प्रोप. श्री दिगविजय चौहान पुत्र श्री मुकेश कुमार	01-11-2018 / 30-01-2019	दृष्टिबंधक सम्पूर्ण बुक–डेब्ट्स और कच्चे माल का स्टॉक और तैयार माल परिसर में रखा हुआ साम्यिक बंधक रिहायशी मकान नं. 4/237, आनंदपुर सतसंग भवन से जुड़ा हुआ, शिवाजी नगर, गुरुग्राम में स्थित, कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती मिथलेश चौहान पत्नी तेजपाल चौहान के नाम पर है। चौहद्दी : पूरब में – 20फीट चौड़ा रास्ता, पश्चिम में – श्री किशन लाल मलिक का मकान, उत्तर में – श्री गोपाल का मकान, दक्षिण में – 24फीट चौड़ा रास्ता	₹ 80,71,917.00 दिनांक 31-10-2018 तक और दिनांक 01.11.2018 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार

दिनांक : 30.01.2019, स्थान : गुड़गाँव — प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

NOTICE FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED

Registered Office: Rahejas, 4th Floor, Corner of Main Avenue & V. P. Road, Santacruz (W), Mumbai 400054, India
Tel. No.: +91 22 2600 1306; **Fax No.:** +91 22 2600 1307
CIN: L64204MH1959PLC011421; **Website:** www.hathway.com

Open Offer for acquisition of up to 46,02,27,170 fully paid-up equity shares of face value of Rs. 2 each ("Equity Shares") representing 26.00% of the Expanded Voting Share Capital from the Public Shareholders of Hathway Cable and Datacom Limited ("Target Company") by Jio Content Distribution Holdings Private Limited ("Acquirer 1"), Jio Internet Distribution Holdings Private Limited ("Acquirer 2") and Jio Cable and Broadband Holdings Private Limited ("Acquirer 3") (hereinafter Acquirer 1, Acquirer 2 and Acquirer 3 are collectively referred to as the "Acquirers") together with Reliance Industries Limited ("PAC 1"), Digital Media Distribution Trust ("PAC 2"), Reliance Content Distribution Limited ("PAC 3") and Reliance Industrial Investments and Holdings Limited ("PAC 4") (hereinafter PAC 1, PAC 2, PAC 3 and PAC 4 are collectively referred to as the "PACs"), in their capacity as the persons acting in concert with the Acquirers ("Offer" or "Open Offer")

This Notice is being issued by JM Financial Limited (the **"Manager to the Offer"**), for and on behalf of the Acquirers and PACs, in respect of the Open Offer (the **"Notice"**) to the Public Shareholders of the Target Company. This Notice should be read in continuation of, and in conjunction with, the Public Announcement dated October 17, 2018 (**"PA"**), Detailed Public Statement published on October 25, 2018 (**"DPS"**), Draft Letter of Offer dated November 01, 2018 (**"DLOF"**), Letter of Offer dated January 21, 2019 (**"LOF"**) and the Offer Opening Public Announcement and Corrigendum dated January 29, 2019 (the **"Offer Opening Public Announcement and Corrigendum"**). The DPS and the Offer Opening Public Announcement and Corrigendum with respect to the Open Offer were published in Financial Express – English (all editions), Jansatta - Hindi (all editions), Loksatta – Marathi (all editions) and Indian Express – English (all editions).

Capitalised terms used but not defined in this Notice shall have the meaning assigned to such terms in the LOF.

The Public Shareholders are requested to kindly note the following information relating to the Open Offer:

Subsequent to the date of the LOF, the board of directors of the Target Company, in its board meeting held on January 30, 2019 have allotted 90,88,10,000 Equity Shares (**"Subscription Shares"**) of the Target Company representing 51.34% of the Expanded Voting Share Capital to the Acquirers in the manner set out in the SSA. Pursuant to the underlying transactions under the SSA and the SHA, the Acquirers have acquired sole control of the Target Company. The completion of the underlying transactions under the SSA and the SHA by the Acquirers is in accordance with Regulation 22(2) of the SEBI (SAST) Regulations. Ms. Geeta Fulwadaya (DIN: 03341926) has been appointed as an Additional Director of the Target Company with effect from January 30, 2019 which is in compliance with Regulation 24(1) of the SEBI (SAST) Regulations. Ms. Geeta Fulwadaya (DIN: 03341926) is also a director on the board of directors of Acquirer 1.

Further, Mr. Rajan Raheja (DIN: 00037480) and Mr. Vinayak Aggarwal (DIN: 00007280) have resigned from the board of the Target Company with effect from January 30, 2019.

The Acquirers, the PACs and their respective directors / trustees accept full responsibility for the information contained in this Notice (other than information pertaining to the Target Company which has been compiled from information published or publicly available sources or provided by the Target Company) and shall be jointly and severally responsible for the fulfillment of obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of the Open Offer.

A copy of this Notice is expected to be available on the SEBI website at **https://www.sebi.gov.in**

Issued on behalf of Acquirers and the PACs by the Manager to the Offer

JM FINANCIAL

JM Financial Limited
7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai – 400 025, India.
Tel: +91 22 6630 3030, Fax: +91 22 6630 3330
Email: hathway.openoffer@jmfl.com
Contact Person: Ms. Prachee Dhuri
SEBI Registration Number: INM000010361
CIN: L67120MH1986PLC038784

Registrar to the Offer

KARVY FINTECH

Karvy Fintech Private Limited
Karvy Selenium Tower B Plot No 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032, Telangana, India
Tel : +91 40 6716 2222 Fax: +91 40 2343 1551
Email: murali.m@karvy.com
Website: http://karvyfintech.com
Contact Person: Murali Krishna M, General Manager
SEBI Registration No.: INR000000221
CIN: U67200TG2017PTC117649

Place: Mumbai — **Date:** January 31, 2019

UFLEX
'A part of your daily life'
यूफ्लैक्स लिमिटेड
CIN : L74899DL1988PLC032166
रजिस्टर्ड ऑफिस : 305, तीसरी मंजिल, भानोट कॉर्नर, पाम्पोष एन्कलेव, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048, **फोन :** +91-11-26440917, 26440925, **फैक्स :** +91-11-26216922
वेबसाईट : www.uflexltd.com
इमेल : flexsec@vsnl.net

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूफ्लैक्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक वीरवार, 7 फरवरी, 2019 को नोएडा में आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही के लिये कम्पनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एंव अभिलेखित किया जाएगा।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.uflexltd.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com. पर भी उपलब्ध है।

यूफ्लैक्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
अजय कृष्णा
वरि. बी.पी. (लीगल) एवं कम्पनी सचिव
ACS No.3296
पता : सी–001,कृष्णा अपरा रेजिडेन्सी, ई–8, सेक्टर–61, नोएडा–201301
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 31.01.2019

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
रोहिणी, सेक्टर-8 (1506) शाखा: 101-110, प्रथम तल, आर जी कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085, फोन: 011-27945991, 27940673, ईमेल: iob1506@iob.in

स्वर्णाभूषणों की नीलामी सह बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा जन-साधारण को सूचना दी जाती है कि इंडियन ओवरसीज बैंक (यहां के बाद "बैंक" के रूप में वर्णित) जिसका प्रधान कार्यालय 763, अन्ना सलाई चेन्नई-600002 में है तथा अन्य स्थानों सहित उसका शाखा कार्यालय 101-110, आर.जी.कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में है, के द्वारा नीचे दिये गये संक्षिप्त विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जैसा है जो भी है आधार", "जो कुछ भी वहां है आधार" तथा "उपचार-रहित आधार" पर गिरवी रखी गई स्वर्णाभूषणों की नीलामी-सह बिक्री आयोजित की जायेगी। ये सभी स्वर्ण आभूषण बैंक के नीचे वर्णित ऋणधारक की ऋण खाता के संदर्भ में बैंक के पास गिरवी रखे गये हैं। नीचे वर्णित स्वर्ण-आभूषणों की यहां नीचे वर्णित रूप में ऋण खाता के समक्ष वर्णित बकाये राशि की वसूली के लिये बिक्री की जायेगी।

क्रम सं.	ऋण संख्या	ग्राहक का नाम	स्वर्ण-आभूषणों का विवरण शुद्ध वजन (ग्राम) में	नीलामी की तिथि, सम्पर्क व्यक्ति एवं पता
1	150603462000011	श्री मनीश कुमार पुत्र श्री बलबीर कुमार	स्वर्ण-आभूषण अर्थात 3 पीस (एक नेक्लेस+2 कांटे) 4 पीस (2 चैन+2 पेन्डेन्ट) 5 पीस (1 रिंक+4 टॉप्स) कुल 12 पीस कुल शुद्ध वजन 54.500 ग्राम इन सभी 12 स्वर्णाभूषणों की।	20 फरवरी, 2019 श्री सागर कुमार कुंजिलवार सम्पर्कः 011-27945991, 011-27940673, 9959861300 इंडियन ओवरसीज बैंक, रोहिणी शाखा 101-110, 1 ला तल, आर. जी. कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 8, रोहिणी दिल्ली-110085

जैसा कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त स्वर्णाभूषणों का निपटारा करने का फैसला किया है तथा विशेष रूप से संबंधित ऋणधारक/गिरवी-कर्ता तथा आम जनता के लिये आज यह सूचना प्रकाशित की जा रही है कि उपरोक्त तिथि एवं स्थान पर सार्वजनिक रूप से उपरोक्त स्वर्णाभूषणों की बिक्री की जायेगी। आगे किसी भी जानकारी के लिये इच्छुक बोलीदाता उक्त तिथि को या पूर्व बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

संबंधित ऋणधारक/गिरवी-कर्ता को नीलामी की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक उस पर उपचयित सभी ब्याज तथा चार्जेज के साथ उपरोक्त ऋण खाता का निपटारा करने का अंतिम अवसर दिया जाता है जिसमें विफल होने पर उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार इन स्वर्ण-आभूषणों की बिक्री कर दी जायेगी।

यहां ऊपर निर्दिष्ट स्वर्णाभूषणों का विवरण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं ज्ञान में सही है, लेकिन इन विवरणों में किसी गलती, गलत-विवरण खामियों, असंगति अथवा न्यूनता के लिये वे उत्तरदायी नहीं होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 01.02.2019, स्थानः दिल्ली — इंडियन ओवरसीज बैंक

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India
आंचलिक कार्यालय, देहरादूनः महावीर टॉवर, सेंट जूड्स, क्रोसिंग, शिमला बायपास रोड, सेवला कलां, जिला देहरादून–0135–2640046, 2641002
Email: Dehradun.ARD@bankofindia.co.in
ई–नीलामी सूचना

वर्णित परिशिष्ट–II क [नियम 6(2) परन्तुक देखें] चल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

वर्णित परिशिष्ट–IV क [नियम 8(6) परन्तुक देखें] अचल संपत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित चल/अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/प्रभारित है, का प्रलक्षित/वास्तविक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता है) प्रतिभूति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर नीलाम किया जायेगा। ***नीलामी के नियम व शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया दी गई वेबसाइट https://boi.auctiontiger.net** देखें

गुणों के जांच की तारीख	ईएमडी और दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय	ई नीलामी की तारीख और समय
दिनाकः 04.03.2019 प्रातः 11.00 बजे से 4.00 बजे तक संबंधित शाखा से सम्पर्क करें	दिनाकः 06.03.2019 सायं 05.00 बजे तक ऑनलाइन/ऑफलाइन से	दिनाकः 07.03.2019 सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

क्रं. सं.	एनपीए खाते का नाम एवं शाखा	चल/अचल सम्पत्ति/यों का विवरण	मांग नोटिस तिथि / बकाया राशि	खाते का नाम/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा ईएमडी जमा	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नंबर/ईमेल आईडी	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि
1.	श्री सुशील सिंह रावत ऋणी– शाखाः पौढ़ी	बंधक आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व खंड स्थित राई मल्ली, नादलस्यूं, खाता खतौनी नं0 73, प्लाट नं0 446, पौढ़ी, संपत्ति स्वामी श्री सुशील सिंह रावत	24.10.2017 रू0 14,95,194.50 + ब्याज व अन्य 30.09.2017 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 69440SUNCR099 IFSC : BKID0006944	श्री अंशुमन त्यागी फोन नं.: 01382-222117 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	23.10 लाख / 2.30 लाख / 0.25 लाख
2.	श्री रमनदीप सिंह एवं मैसर्स जनता टायर हाऊस-प्रो. श्री रमनदीप सिंह ऋणी- शाखाः सितारगंज	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड भूमि व भवन, खाता नं0 027, खेत नं0 266, ग्राम टुरका टिसौर, तहसील सितारगंज, उधमसिंह नगर में स्थित सम्पत्ति स्वामी श्री रमनदीप सिंह	06.07.2017 रू0 9,94,334/- + ब्याज व अन्य 01.07.2017 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 71280SUNCR099 IFSC : BKID0007128	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	13.75 लाख / 1.40 लाख / 0.15 लाख
3.	मैसर्स दून पेपर ट्रेडिंग कम्पनी, प्रो. मौहम्मद आलम -ऋणी शाखाः काशीपुर	आवासीय सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती जरीना पत्नी श्री अब्दुल लतीफ, माप 673.14 वर्ग फिट, मकान नं0 188/43/6(1), मौजा, बेलजूडी, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर में स्थित	03.05.2017 रू0 20,22,182.48 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.04.2017 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 72120SUNCR099 IFSC : BKID0007212	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	7.45 लाख / 0.75 लाख / 0.10 लाख
4.	श्री धर्मेन्द्र सिंह ऋणी– शाखाः कोटद्वार	टाटा विंगर इंडिगो डीकोर स्कूल वैन-बीएस - III, रजि0 नं0-UK15PA0024, विनिर्माण तिथि 07-2013, कि0मी0 99,910, स्वामी श्री धर्मेंद्र सिंह	28.04.2017 रू0 4,80,442/- + ब्याज व अन्य 31.03.2017 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 694100SUNCR099 IFSC : BKID0006941	श्री अंशुमन त्यागी फोन नं.: 01382-222117 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	1.10 लाख / 0.10 लाख / 0.01 लाख
5.	मैसर्स बालाजी अर्थ मूवर्स प्रो. श्रीमती वीरबाला गोयल पत्नी श्री पवन गोयल ऋणीः– शाखाः रूद्रपुर	सम्पत्ति नं0 1:– सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती वीरबाला गोयल पत्नी श्री पवन गोयल, माप 8070 वर्ग फिट, खसरा नं0 431Min व 432 Min, चन्दन नगर तहसील-गदरपुर जिला-उधमसिंह नगर में स्थित सम्पत्ति नं0 2:– सम्पत्ति स्वामिनी श्रीमती वीरबाला गोयल पत्नी श्री पवन गोयल, माप 1740 वर्ग फिट, खाता खतौनी नं0 407, खसरा नं0 29Kha Min, ग्राम चन्दायन नगर तहसील-गदरपुर जिला-उधमसिंह नगर में स्थित	29.03.2017 रू0 37,47,472.80 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 30.03.2017 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 68920SUNCR099 IFSC : BKID0006892	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	सम्पत्ति 1: 26.30 लाख / 2.60 लाख / 0.25 लाख सम्पत्ति 2: 5.75 लाख / 0.60 लाख / 0.05 लाख
6.	मैसर्स अन्नपूर्णा इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्री विकास रंजन पुत्र श्री रमेश प्रसाद सिंह, ऋणीः– शाखाः सेवला कलाँ, देहरादून	दृष्टिबंधक प्लान्ट एंड मशीनरी आटा चक्की, खसरा नं0 2109, मौजा मेहुवाला माफी, परगना सेन्ट्रल दून, देहरादून में स्थित	22.05.2018 रू0 17,36,410/- + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 30.04.2018 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 70570SUNCR099 IFSC : BKID0007057	श्री बी.के. शर्मा फोन नं.: 0135-2640046 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	8.15 लाख / 0.80 लाख / 0.10 लाख
7	श्रीमती सुनीता देवी एवं श्री सुरेश कुमार ऋणीः– शाखाः रोशनाबाद शाखा हरिद्वार	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 490, शिवालिक गंगा फार्म ग्राम, सलेमपुर, परगना रुड़की, तहसील हरिद्वार, माप क्षेत्रफल 2664 वर्ग फीट, स्वामी श्रीमती सुनीता देवी एवं श्री सुरेश कुमार	14.09.2018 रू0 14,82,206.18 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 27.08.2018 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 76580SUNCR099 IFSC : BKID0007658	श्री पी.के. सिंघल फोन नं.: 0135-2640046 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	47.85 लाख / 4.80 लाख / 0.50 लाख
8	श्रीमती सलोनी कपूर ऋणीः– शाखाः हल्द्वानी	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड सम्पत्ति माप 0.337 हेक्टयर, स्थित खसरा नं0 547 /1mi, खतौनी नं0 00205 (1421-1426) ग्राम-मंगा, परगना रूद्रपुर, तहसील किच्छा, जिला उधमसिंह नगर, स्वामी श्री विजय कपूर	12.06.2018 रू0 24,12,526.32 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 01.06.2018 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 70510SUNCR099 IFSC : BKID0007051	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	33.40 लाख / 3.35 लाख / 0.35 लाख
9	श्री मौहम्मद उजेर ऋणीः– शाखाः हल्द्वानी	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय संपत्ति स्वामी श्री मौहम्मद उजेर स्थित खाता नं0 00058, खसरा नं0 415 मिन, ग्राम बाराखेड़ा, परगना तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंह नगर, माप 0.146 हेक्टयर	07.10.2017 रू0 17,53,344/- + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 30.09.2017 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 70510SUNCR099 IFSC : BKID0007051	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	38.40 लाख / 3.85 लाख / 0.40 लाख
10	श्री पन्ना लाल रॉय ऋणीः– शाखाः रूद्रपुर	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय संपत्ति माप 700 वर्ग फीट, स्थित प्राइवेट प्लाट नं0 12, खाता नं0 32, खसरा नं 65 का मिन, ग्राम जय नगर, तहसील गदरपुर, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर	26.02.2018 रू0 7,51,703 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 31.12.2017 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 68920SUNCR099 IFSC : BKID0006892	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	6.20 लाख / 0.65 लाख / 0.10 लाख
11	श्री अशोक कुमार ऋणीः– शाखाः रूद्रपुर	बंधक सम्पत्ति के सभी भाग व खंड आवासीय संपत्ति माप 59.47 वर्ग मीटर, स्थित ग्राम फूलसुंगा, प्राइवेट प्लाट नं0 06, खेत/खसरा नं0 104 मिन, खाता नं0 00237, तहसील रूद्रपुर, उधमसिंह नगर,	04.06.2018 रू0 12,22,297.25 + ब्याज व अन्य खर्चे दिनांक 31.05.2018 से	खाताः विविध आइटम्स खाता सख्याः 68920SUNCR099 IFSC : BKID0006892	श्री राजेश कुमार फोन नं.: 08001176344 E Mail I.D -Dehradun. ARD@bankofindia.co.in	7.85 लाख / 0.80 लाख / 0.10 लाख

नियम व शर्तेंः– (1) सम्पत्तियों की ई-नीलामी ऑनलाइन वेबसाइट **https://boi.auctiontiger.net** के माध्यम की जायेगी । पांच मिनट के विस्तार के साथ निर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार होगी। (2) इच्छुक बोलीदाता को नाम दर्ज करके पंजीकरण लॉगिन आईडी व पासवर्ड निःशुल्क वेबसाइट **https://boi.auctiontiger.net** व/या **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. (Auction Tiger)** टोल फ्री नं0: 18001035342, व्हाटस ऐप नं0: 9374519724, संपर्क व्यक्ति सचिन शर्मा नं0: 9988137576, कुशल कोठारी नं0 8980690773, ई-मेल आइडीः **punjab@auctiontiger.net, kushal@auctiontiger.net से प्राप्त किया जा सकता है।** (3) उधारकर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। (4) सफल बोलीकर्ता की **EMD** राशि बैंक के पास ही रहेगी तथा सभी असफल नीलामी कर्ता की राशि बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी। (5) **EMD** राशि पर बैंक द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। (6) सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (अर्थात अधिकतम बोली राशि), **EMD** राशि के अतिरिक्त स्वीकृत बोली राशि को तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा कराना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान के असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। (7) इच्छुक व वैध निविदाकर्ता को सभी खर्चे जैसे स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/ट्रांसफर चार्जेज फीस आदि व अन्य सभी सांविधिक/गैर सांविधिक देय राशि, कर दरें, मूल्यांकन खर्च फीस आदि जो किसी भी व्यक्ति विशेष की हो स्वयं वहन करना होगा।

सरफेसी एक्ट 2002 नियम 8(5) एवं नये प्रावधान उप 1 से नियम 6 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) के अन्तर्गत 30 दिन का वैधानिक बिक्री सूचना अनुवर्ती बिक्री हेतु

उपर्युक्त उधारकर्ता/गारंटीकर्ता/बंधककर्ता को नोटिस दी जाती है कि वे ई–नीलामी की तिथि से पूर्व अपना कुल बकाया ब्याज व अन्य खर्चे सहित जमा कर दें इसमें असफल होने पर उक्त सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी। तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो ब्याज व लागत सहित वसूल की जायेगी।

दिनांकः 01.02.2019 — स्थानः देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया